

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग


क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/17/34325

जयपुर,दिनांक: 29/09/17

परिपत्र

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत शहरी जन-कल्याण शिविरों का आयोजन किये जाने हेतु विभाग के आदेश दिनांक 25.4.2017 के द्वारा निर्देशित किया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 10.7.2017 को उक्त जन कल्याण शिविर आयोजित किये जाने हेतु अवधि दिनांक 11.8.2017 तक बढ़ाई गई।

उक्त आदेशों के क्रम में इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 32457-32925 दिनांक 16.8.2017 की निरन्तरता में निर्देशित किया जाता है कि मुख्यमंत्री शहरी जन-कल्याण योजना के अन्तर्गत आयोजित शिविरों में सभी नगरीय निकायों द्वारा सफलतापूर्वक अधिकांश प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। परन्तु शिविरों के दौरान अत्यधिक प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिनका निस्तारण उक्त अल्प अवधि में किया जाना विभिन्न कारणों से संभव नहीं हो सका है, उनका निस्तारण वर्तमान प्रक्रिया एवं छूट के अनुरूप एम्पावर्ड कमेटी द्वारा दिनांक 31.12.2017 तक किया जा सकेगा।


(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/17/34326-34575 दिनांक: 29/09/17
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग राज0 जयपुर
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष,समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाएं,समस्त राजस्थान
5. अध्यक्ष/आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर, विकास प्राधिकरण।
6. अध्यक्ष/आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल।
7. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
8. सचिव, नगर सुधार न्यास, समस्त राजस्थान।
9. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएं,राजस्थान
10. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग राज0 जयपुर
11. निजी सहायक, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
12. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी